[2019] 2 एस. सी. आर. 1000

एस्टेट अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य

बनाम

गोपी चंद अत्रेजा

(2009 की सिविल अपील संख्या 5051-5052)

12 मार्च, 2019

[न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी]

परिसीमा अधिनियमः

धारा -5-देरी की क्षमा-दूसरी अपील दायर करने में 1942 दिनों की देरी-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई देरी की माफी की मांग करने वाला आवेदन-अभिनिर्धारित किया -देरी अत्यधिक थी और ठीक से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था-अपीलकर्ता-हुडा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 के तहत बनाया गया एक सांविधिक प्राधिकरण है और विभिन्न न्यायालयों में कानूनी मामलों की देखभाल के लिए अच्छी तरह से स्थापित कानूनी विभाग है-इसलिए, अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ पहली अपील में पारित प्रतिकूल आदेशों के बारे में पूरी तरह से पता था-इसलिए, उनकी ओर से इतने लंबे समय तक चुप रहने और 90 दिनों के भीतर अपील दायर नहीं करने या दोषों को ठीक करने के तुरंत बाद इसे फिर से दायर करने का कोई औचित्य नहीं था-यदि, अपीलकर्ता-हुडा के अनुसार, उनके वकील ने समय पर कदम नहीं उठाए, जिसके परिणामस्वरूप इसे दाखिल करने/फिर से दाखिल करने में देरी

हुई, तो इसे अर्थ के भीतर पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5-विलंब को उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से माफ नहीं किया गया-विलंब/विलंब-हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

अभिनिर्धारित किया **- 1.** यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी दीवानी मुकदमे और पहली अपील को दायर किये जाने के बाद से ही लड़ रहे थे।इसलिए, वे अपने खिलाफ पहली अपील में पारित प्रतिकूल आदेशों से पूरी तरह से अवगत थे।इसलिए, उनकी ओर से इतने लंबे समय तक चुप रहने और **90** दिनों के भीतर अपील दायर नहीं करने या/और दोषों को ठीक करने के तुरंत बाद इसे फिर से दायर करने का कोई औचित्य नहीं था। यह देखना अपीलार्थियों (उनके कानूनी प्रबंधकों) का कर्तव्य था कि अपील समय पर दायर की जाए।यदि अपीलार्थियों ने देखा कि उनके वकील संक्षिप्त विवरण में भाग लेने में रुचि नहीं ले रहे थे प्रश्न में, उन्हें तुरंत किसी अन्य वकील को नियुक्त करना चाहिए था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी अन्य वकील द्वारा समय पर अपील दायर की जाए।**[**पैरा **17,19](1003-D-G)**

**2.** यह एक स्पष्ट मामला है जहां अपीलार्थी-हुडा, यानी उनके अधिकारी, जो कानूनी प्रकोष्ठ के प्रभारी थे, सभी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के बावजूद उन्हें सौंपे गए अपने कर्तव्य का तुरंत और उचित परिश्रम के साथ निर्वहन करने में विफल रहे। ऐसी परिस्थितियों में, मामले के प्रभारी अधिकारियों को उनकी ओर से चूक के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और अपीलार्थियों-हुडा को हुए नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। **1942** दिनों **(4** वर्ष **6** महीने**)** की देरी पूरी तरह से अत्यधिक है और इसकी माफी के लिए अनुरोध किया गया कारण अपीलकर्ताओं द्वारा समान रूप से अस्पष्ट है।किसी भी मामले में, दिया गया स्पष्टीकरण सीमा अधिनियम की धारा **5** के अर्थ के भीतर पर्याप्त कारण

नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा इसे उचित रूप से माफ नहीं किया गया था।**[पैरा 20,21] [1003-जी, एच](1004-A-B)**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2009 की सिविल अपील सं. 5051-5052।

2007 की नियमित दूसरी अपील संख्या 4110 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से और 2007 की नियमित दूसरी अपील संख्या 4110 में 2008 की आर. ए. सी. संख्या 23-सी में दिनांकित आदेश से।

विश्व पाल सिंह, डॉ. संजय गुप्ता, उग्र शंकर प्रसाद, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

गगन गुप्ता, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति |

1. ये अपीलें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चंडीगढ़ में 2007 के आर. एस. ए. No.4110 और 2008 के आर. ए. सी. No.23-सी में क्रमशः 2007 के आर. एस. ए. No.4110 में पारित अंतिम निर्णय और आदेशों के खिलाफ निर्देशित की गई हैं, जिसमें उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील के साथ-साथ अपीलकर्ताओं द्वारा दायर पुनर्विचार आवेदन को भी खारिज कर दिया था।

2. इन अपीलों में एक संक्षिप्त बिंदु शामिल है जो नीचे उल्लिखित तथ्यों से स्पष्ट होगा।

3. इसमें अपीलकर्ता हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (इसके बाद "हुडा" के रूप में संदर्भित) है।वे प्रतिवादी हैं जबकि प्रतिवादी दीवानी मुकदमे में वादी है जिससे ये अपीलें उत्पन्न होती हैं।

4. प्रत्यर्थी ने अपीलार्थियों (हुडा) के खिलाफ सिविल जज (जूनियर डिवीजन), करनाल के न्यायालय में 2000 का सिविल सूट संख्या 305 होने

के नाते एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि मुकदमे के संबंध में स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के साथ घोषणा के लिए एक डिक्री का दावा किया गया है। मुकदमे का फैसला निचली अदालत द्वारा दिनांक 01.05.2001 के फैसले/डिक्री के माध्यम से किया गया था।

5. अपीलार्थी (प्रतिवादी) ने व्यथित महसूस किया और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल के न्यायालय में 2001 की सिविल अपील No.92 के रूप में पहली अपील दायर की।प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 07-02-2002 के निर्णय द्वारा अपील को खारिज कर दिया और विचारण न्यायालय के निर्णय/डिक्री की पुष्टि की।

6. अपीलकर्ताओं ने व्यथित महसूस किया और चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दूसरी अपील दायर की।चूंकि अपीलार्थी द्वारा दायर अपील पर 1942 दिनों तक देरी की गई थी, इसलिए अपीलार्थी ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन दायर किया और दूसरी अपील दायर करने में देरी को माफ करने का अनुरोध किया।

7. दिनांक 23.01.2008 के विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने आवेदन को खारिज कर दिया और देरी को माफ करने से इनकार कर दिया।उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विलंब को माफ करने के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा अनुरोध किया गया कारण पर्याप्त कारण नहीं है। नतीजतन, दूसरी अपील को भी परिसीमा द्वारा वर्जित होने के रूप में खारिज कर दिया गया था।

8. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ताओं ने एक समीक्षा याचिका दायर की। दिनांक 05.02.2008 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया।

9. दिनांकित 23.01.2008 और 05.02.2008 आदेशों के खिलाफ, अपीलकर्ताओं (प्रतिवादियों) ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से ये अपील दायर की हैं।

10. इसलिए, इन अपीलों में विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों की दूसरी अपील को परिसीमा के आधार पर खारिज कर दिया था।

11. दूसरे शब्दों में, इन अपीलों में विचार के लिए प्रश्न यह उठता है कि क्या उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों (प्रतिवादियों) द्वारा दूसरी अपील दायर करने में 1942 दिनों की देरी को माफ नहीं किया था। न्यायसंगत था।

12. अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री विश्व पाल सिंह और प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री गगन गुप्ता को सुना।

13. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हम इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

14. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय में दूसरी अपील दायर करने में 1942 दिनों की देरी को उच्च न्यायालय द्वारा नीचे उल्लिखित कारणों से सही नहीं माना गया था। जोकि न्यायसंगत था।

15. पहला, देरी अत्यधिक थी; दूसरा इसे ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया था; और तीसरा, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर आवेदन के समर्थन में कथित आधार एक पर्याप्त कारण नहीं था।

16. अपीलार्थी-हुडा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 के तहत बनाया गया एक वैधानिक प्राधिकरण है। हुडा द्वारा और हुडा के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में दायर कानूनी मामलों की देखभाल के लिए इसका अपना अच्छी तरह से स्थापित कानूनी विभाग है।उनके पास अदालतों में अपने हितों की रक्षा करने के लिए वकीलों का पैनल है।

17. यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी दीवानी मुकदमे और स्थापना के बाद से पहली अपील को लड़ रहे थे।इसलिए, अपीलार्थी अपने खिलाफ पहली अपील में पारित प्रतिकूल आदेशों से पूरी तरह से अवगत थे। इसलिए, उनकी ओर से इतने लंबे समय तक चुप रहने और 90 दिनों के भीतर अपील दायर नहीं करने या/और दोषों को ठीक करने के तुरंत बाद इसे फिर से दायर करने का कोई औचित्य नहीं था।

18. यदि, अपीलकर्ता-हुडा के अनुसार, उनके वकील ने समय पर कदम नहीं उठाए, जिसके परिणामस्वरूप इसे दाखिल करने/फिर से दाखिल करने में देरी हुई, तो, हमारे विचार में, इसे सीमा अधिनियम की धारा 5 के अर्थ के भीतर पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता है।

19. हमारे विचार में, यह देखना अपीलार्थियों (उनके कानूनी प्रबंधकों) का समान रूप से कर्तव्य था कि अपील समय पर दायर की जाए।यदि अपीलकर्ताओं ने देखा कि उनके वकील प्रश्नगत संक्षिप्त विवरण में भाग लेने में रुचि नहीं ले रहे थे, तो उन्हें तुरंत किसी अन्य वकील को नियुक्त करना चाहिए था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपील किसी अन्य वकील द्वारा समय पर दायर की जाए।

20. हमारे विचार में, यह एक स्पष्ट मामला है जहां अपीलकर्ता-हुडा, यानी उनके अधिकारी, जो कानूनी प्रकोष्ठ के प्रभारी थे, सभी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के बावजूद उन्हें सौंपे गए अपने कर्तव्य का तुरंत और उचित परिश्रम के साथ निर्वहन करने में विफल रहे।ऐसी परिस्थितियों में, मामले के प्रभारी अधिकारियों को उनकी ओर से चूक के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और अपीलार्थियों-हुडा को हुए नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए।

21. 1942 दिनों (4 वर्ष 6 महीने) की देरी, हमारे विचार में, पूरी तरह से अत्यधिक है और इसकी माफी के लिए अनुरोध किया गया कारण अपीलकर्ताओं द्वारा समान रूप से अस्पष्ट है।किसी भी मामले में, दिया

गया स्पष्टीकरण सीमा अधिनियम की धारा 5 के अर्थ के भीतर पर्याप्त कारण नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा इसे उचित रूप से माफ नहीं किया गया था और हम उच्च न्यायालय के निष्कर्ष से सहमत हैं।

22. इस प्रकार अपील विफल हो जाती हैं और तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं।

देविका गुजराल

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।